



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शोलिया.....)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 336/25 दायर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 27/09/2025

| | | | | |
|---------|---------------|------------|--|--|
| क्र.स.. | नाम-ग्राम | खान | रिपोर्ट | कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश |
| 1 | <u>शोलिया</u> | <u>344</u> | <p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>हस्ताक्षर प्रविष्टी <u>म.स.</u></p> <p>हस्ताक्षर निरप्रविष्टी <u>ompr...</u></p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार <u>म.स.</u></p> | <p>तहसीलदार कपासन की अनुसंधान स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शोलिया</u> प.ह. <u>शोलिया</u> खतासं. <u>344</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>सहायक कलक्टर</p> |

प्रतिनिधि: पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल शोलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार (प.अ.) कपासन
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौड़गढ

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (प.अ.) कपासन